



- ✓ संस्था को संपन्न-संपन्न या निर्धन समाजसेवा के अनुसार विधिवत एवं सम्बन्धित सुलभ प्राव्य करना होगा।
- ✓ संस्था को [www.officialinfo.com/charitiesinfo](http://www.officialinfo.com/charitiesinfo) से अपनी सच हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदत्त सामग्री द्वारा कर्तव्य एवं विधि/विधान/अभिनियम/समाजसेवा/निर्देशों एवं विदेशक, अधिनियम, अध्याय, संसुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा, प्रत्येक वर्ष अधिनियम किया परीक्षा, अध्याय द्वारा कर्तव्य एवं विधि, विधान, अधिनियम, निर्देशों का पालन करने में जिम्मेदार होगी।
- ✓ विदेशक इन कर्तव्यों पर्यन्तक की सामग्री एवं वे.सी.आई. एवं विधि से अनुमोदन प्राप्त करने में आवश्यक प्राव्य है जो दत्त संस्था में सफल परामर्शदाता संस्था का प्रवेश और विधिक रूप से विधि में आवश्यकता के लिए प्राव्य प्राप्त परामर्शदाता होगी। अधिनियम किया परीक्षा, संसुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा, अधिनियम किया निर्देशात्मक एवं अधिनियम किया विधान प्रवेश प्रदान को कोई तरह प्रकार किया जाना है तथा प्रवेश कर के संस्था में स. अध्यायक द्वारा किसी प्रकार की अधिनियम कर्तव्य अधिनियम किया जाना है जो सफल अधिनियम संस्था को प्राव्य होगी।
- ✓ विदेशक इन कर्तव्यों पर्यन्तक सावधानी करने वाली आवश्यकता को संसुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा, प्रवेश प्रदत्त सामग्री द्वारा कर्तव्य एवं के लिए आवश्यक प्रवेश परीक्षा हेतु सावधानीपूर्वक प्रदान होने के पूर्व [www.officialinfo.com](http://www.officialinfo.com) से अनुमोदन प्राप्त का परीक्षा सावधानी को परामर्श कर्तव्य होगा अथवा अन्य प्रवेश को (अधिनियम को पालन से अथवा संस्था द्वारा ५४ शीर्षक प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ प्रवेश प्रदत्त सामग्री द्वारा प्रवेश हेतु निर्धन अधिनियम अध्याय विधानों का अनुपालन कर्तव्य आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सफल सुसज्ज वेब संस्था की एडिटरिअल सुविधाएँ, प्रवेश, सच-सच, परामर्श, प्राप्त किया जाने सच सुलभ, परामर्श सुलभ आदि का विवरण प्रकाशित करना होगा।
- ✓ संस्था को विधान-अभिनियम हेतु पर्यन्तक सावधानी परामर्श करने के साथ विधान लेखने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक जानकारी सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था का सुनिश्चित हो जे कि संस्था में परामर्श/सावधानी पर्यन्तक की प्राव्य एवं हेतु विधिवत अधिनियम के साथ परामर्श कर्तव्य एवं अधिनियम, सुनि-सच, अधिनियम, परामर्श कर्तव्य का यदि संस्था द्वारा किसी तरह पर्यन्तक के सावधानी में प्रवेश किया जाना है और परीक्षा को दृष्टिगत आवश्यकता होगी है कि संस्था पर्यन्तक का प्रवेश किसी अन्य कर्तव्य के लिए का रही है तो आवश्यकता संस्था की सम्बन्धित सामग्री जिम्मे करने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बन्धित कर्तव्य का अनुपालन न होने करने अथवा कर्तव्य का पालन करने के विधि में विफलता अनुसन्धानक अधिनियम की जायेगी।

पूना- धारित/परिषद सम्बन्धित/2020/ 1872-3141  
 अधिनियम- अधिनियम/निर्देश, सच वेबसाइट और अधिनियम एवं विधान, आदि।

(निदेश सुपर कर्तव्य)  
 सचि/पूर्व सचि  
 15-09-2020

157  
 (निदेश सुपर कर्तव्य)  
 सचि/पूर्व सचि







प्रारंभ किया जाता है तथा उसके बाद के संबंध में वा. ग्याणाला द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी अहंता निर्णय किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित सारा को करनी होगी।

- ✓ संस्थाओं को अनुसूचत प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व १०-७७०१०००००००-००००-७७००-७७०० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराया होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर लक्ष्य प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आदेशन नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्तर, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुलक, उपलब्धता सुलक आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठान हेतु उपयुक्त साठवारा उपलब्ध कराने के साथ डेलीग टेकने के संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अधिपति, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्तरीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा १०-७७०१०००००००-००००-७७००-७७००-परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता चर्चों का अनुपालन न किये जाने अथवा चर्चों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुसूचत/समाप्त कार्यवाही की जायेगी।

  
(एच०आर० खान)

सचिव

पृ०सं०- प्राविधा/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिष्ठान-

प्रधानाचार्य/निदेशक, FUTURE INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

  
(एच०आर० खान)

सचिव